न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –01 / 2024

ओमप्रकाश उर्फ होक्मा पुत्र श्री रामा भील, जाति भील, आयु बालिग, निवासी कोलपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।
.................अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमान् सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मण्डेसरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.................रेस्पोडेण्टस

(अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत मण्डेसरा नामान्तरण संख्या 10 दिनांक 23.09.2009)

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत।
अप्रार्थीः– पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 23.10.2024

अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स ने यह अपील रेस्पोडेंटस के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपीलांट तथा सहखातेदारान भाई बहन के खाते की कृषि आराजीयात ग्राम कोलपुरा, प0ह0 मण्डेसरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की खाता संख्या 45, खसरा संख्या 381,382,384,389 कुल किता 04 कुल रकबा 1. 3500 हैक्टर खाते में अपीलान्ट के पिता रामा पुत्र घीसा के स्वर्गवास के बाद नामान्तरण संख्या 10 से अपीलान्ट होक्मा, उदी, फुलचन्द, सजनी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई तथा उक्त नामान्तरण को खोलते समय नामान्तरण अपीलान्ट के बचपन के नाम होक्मा के नाम से खोल दिया गया जबकि होक्मा का नाम ओमप्रकाश है जिसके आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो पहचान पत्र में ओमप्रकाश अंकित है, जिससे अपीलान्ट को खाद्य बीज, व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यह अपील इंतकाल न्यायालय श्रीमान् में पेश करना आवश्यक हुआ है। नामान्तरण संख्या 10 दिनांक 23.09.2009 को खोलते वक्त ग्राम पंचायत मण्डेसरा द्वारा भारी त्रुटि कर अपीलान्ट के बोलते नाम होक्मा से तस्दीक कर दिया है जिसे ओमप्रकाश किया जाना न्यायोचित है। ताकि अपीलान्ट को सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसलिए ग्राम कोलपुरा के नामान्तरण संख्या 10 में तथा जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की आराजी संख्या 381,382,384,389 में अपीलान्ट का नाम ओमप्रकाश किया जाना न्यायोचित है। अपीलान्ट काफी समय से मजदूरी करने के लिए बाहर गांव निवास कर रहा है। तथा [illegible] कोलपुरा के पटवारी पटवार हल्का से अपने खाते का राजस्व रिकॉर्ड [illegible] कि[illegible] तो जानकारी हुई कि अपीलान्ट का नाम होक्मा इन्द्राज [illegible] नाम ओमप्रकाश है। अंत अपीलाण्ट [illegible] फरमाई जाकर ग्राम कोलपुरा की नामान्तरण संख्या 10 दिनांक 23.09.2009 व ग्राम कोलपुरा की अराजी संख्या 381,382,384,389 के राजस्व रिका[illegible] में अपीलान्ट का नाम ओमप्रकाश किये जाने का आदेश प्रदान किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.13 16:48:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

रस्पोडेण्टस संख्या 02 तहसीलदार रावतभाटा द्वारा दिनांक 14.08.2024 से को न्यायालय उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार कर पेरोकार सरकार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने का निवेदन किया है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर हमने अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कोलपुरा, प0ह0 मण्डेसरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की खाता संख्या 45, खसरा संख्या 381,382,384,389 कुल किता 04 कुल रकबा 1.3500 हैक्टर खाते में अपीलान्ट के पिता रामा पुत्र घीसा के स्वर्गवास के बाद नामान्तरण संख्या 10 से अपीलान्ट होक्मा, उदी, फुलचन्द, सजनी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई तथा उक्त नामान्तरण को खोलते समय नामान्तरण अपीलान्ट के बचपन के नाम होक्मा के नाम से खोल दिया गया जबकि होक्मा का नाम ओमप्रकाश है। इसके विपरीत रेस्पोडेण्टस संख्या 01 एकतरफा कार्यवाही के आदेश होने से किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया है तथा पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नही की है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 45 में अंकित खातेदार श्रीमति उदी पुत्री रामा भील, फूलचंद पुत्र रामा भील सजनी पुत्री रामा भील, होकमा पुत्र रामा भील द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें समस्त सहखातेदारान द्वारा जाहिर किया कि होक्मा का नाम ओमप्रकाश है। होक्मा बचपन का नाम था जो जमाबंदी में लिखने में आ गया था। इसके साथ ही ओमप्रकाश के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र इत्यादि में होक्मा नाम न होकर ओमप्रकाश ही है, तो इस संबंध में न्यायालय का मानना है कि पुनः नये सिरे से मृतक रामा के विधिक वारिसान की जांच करने पर नामान्तकरण दर्ज किया जाना उचित है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर ग्राम कोलपुरा प0ह0 मण्डेसरा की नामान्तरण संख्या 10 दिनांक 23.09.2009 व ग्राम कोलपुरा की आराजी संख्या 381,382,384,389 की पुनः नये सिरे से विधिक वारिसान की जांच कर नामान्तकरण दर्ज किये जाने के ओदश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा का भेजी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.13 16:48:17 IST
Reason: SelfAttested

(...गोरिया) आर.ए.एस.
...क्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा